संख्या :   /जी0एस0/शिक्षा/A11-155(1)2021

प्रेषक,

डा0 रंजीत कुमार सिन्हा,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।

1 1 MAR 2022

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड   **देहरादून : दिनांक   फरवरी, 2022**

महोदय,

कृपया कुलसचिव के पत्र संख्याः 2557/SDSUV/Aff/2020-21 दिनांक 28-07-2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उनके द्वारा राजकीय महाविद्यालय, कोटद्वार (भाबर), को बी0-एससी0 पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2019-20 एवं 2020-21 की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण का प्रस्ताव कुलपति की संस्तुति के साथ उपलब्ध कराया गया है।

2- शैक्षिक सत्र 2019-20 एवं 2020-21 की अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (यथा संशोधित) के अध्याय-06 की धारा-33 (1) के अन्तर्गत महाविद्यालय को उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के प्रस्ताव पर मा0 कुलाधिपति महोदय द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया है :-

क्र0 सं0	महाविद्यालय/संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता	अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की अवधि
1	2	3	4	5
1.	राजकीय महाविद्यालय, कोटद्वार (भाबर), पौड़ी गढ़वाल	1-बी0-एससी0 (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित) 2-बी0-एससी0 (जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान)	120 सीट प्रति विषय 120सीट प्रति विषय	2019-20 एवं 2020-21

(i) निरीक्षण मण्डल की आख्या/कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, यू0जी0सी0 के विनियमों व नियामक संस्था के अनुसार मानक पूर्ण होने की दशा में अस्थायी सम्बद्धता आदेश निर्गत करने की कार्यवाही करे व तत्सम्बन्धी कार्यवाही की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध कराये।

(ii) विश्वविद्यालय समस्त मानक पूर्ण कराना विश्वविद्यालय का दायित्व होगा। जिन मानकों को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में शासन स्तर से कार्यवाही अपेक्षित हो, उनके सम्बन्ध में इस सचिवालय के पत्र सं0-2565 दिनांक 13 जनवरी, 2021 के क्रम में शासन स्तर से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(iii) विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, कार्यपरिषद की आवश्यकता व विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुये संस्थान को सम्बद्धता दिये जाने से पूर्व U.G.C/राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम तथा शासन द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करायेगी, ताकि अध्ययनरत छात्रों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

(iv) अग्रेत्तर सत्रों के प्रस्ताव U.G.C विनियमों व नियामक संस्था के अनुसार ससमय निर्धारित समय सारिणी के अनुसार मानक पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होगें।

तद्नुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डा0 रंजीत कुमार सिन्हा)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 3755 (1)/जी0एस0/शिक्षा/ A11-155(1)/2021 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

1. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक, सम्बन्धित संस्थान।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(स्वाति एस0 भदौरिया)
कुलाधिपति के अपर सचिव।